

ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालय में होंगे प्रवेश

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के लगभग 1370 महाविद्यालयों में प्रवेश की तैयारियाँ शुरू

भोपाल : गुरुवार, मई 10, 2018, 18:54 IST

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर-अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष स्नातक/प्रथम सेमेस्टर स्नातकोत्तर सत्र 2018-19 में ऑनलाइन प्रवेश www.epravesh.nic.in पोर्टल के माध्यम से होंगे। ई-प्रवेश पोर्टल पर इच्छुक आवेदक अपना पंजीयन करवाते हुए स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे। इस पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों के प्रवेश पर ही विचार किया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से जारी समय-सारणी के अनुसार प्रवेश शुरू होंगे। प्रवेश प्रक्रिया में तीन चरण एवं एक सी.एल.सी. चरण की व्यवस्था रहेगी। प्रवेश पोर्टल पर लगभग 469 शासकीय और 827 अशासकीय महाविद्यालय एवं 74 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश स्थित केवल पात्र अल्पसंख्यक महाविद्यालय में भी इच्छुक आवेदक प्रवेश ले सकते हैं। इन महाविद्यालयों की सूची उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी होगी।

ई-प्रवेश 2018-19 में पूर्व वर्षों की तुलना में नये परिवर्तन किये गये हैं। पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार की संतानों को शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूट दी गयी है। सभी वर्गों की छात्राओं के लिये केवल प्रथम चरण में निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। यदि कोई छात्रा प्रथम से अन्येतर चरण में रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।

स्नातक (यू.जी.) एवं स्नातकोत्तर (पी.जी.) कक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा का बंधन समाप्त कर दिया गया है। प्रत्येक महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में व्याख्यान होंगे। डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भुगतान की व्यवस्था है। इससे प्रवेशार्थी/उनके अभिभावकों को भुगतान के लिये एक बेहतर सुविधा उपलब्ध रहेगी और उनके समय की बचत होगी। दिव्यांगों के लिये आरक्षित स्थान को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है। इससे दिव्यांग आवेदकों को उच्च अध्ययन के लिये अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

अन्य विशेषताओं में, आवेदकों को एस.एम.एस. अलर्ट द्वारा प्रवेश संबंधी जानकारी समय-समय पर दी जायेगी। आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लेने वाले पंजीकृत आवेदक अथवा अनावंटित आवेदकों के लिये पुनः आगामी चरण के लिये ऑनलाइन महाविद्यालय/विषय/पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प देना अनिवार्य है।

सम्पूर्ण ई-प्रवेश प्रक्रिया के सुचारु संचालन और आवेदकों की प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिये महाविद्यालयों एवं संचालनालय स्तर पर हेल्प-डेस्क स्थापित किया जा रहा है। साथ ही, प्रवेश संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये वेब-बेस्ड व्यवस्था ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।

दुर्गेश रायकवार